

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला (म०प्र०)
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)

दां०प्र०क०-181 / 15संस्था०दि० 06 / 04 / 15

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,
थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

-----अभियोजन

-: विरुद्ध :-

1. आसिफ पिता स्व० मोह० अनसार, उम्र 21 वर्ष,
जाति मुसलमान, पेशा मजदूरी, नि० वार्ड नं.05,
पीर मंजिल आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)
2. दीपक पिता लोधू सोनपुरे, उम्र 24 वर्ष, (निराकृत)
3. विनीत पिता ओमप्रकाश अमझरे, उम्र 24 वर्ष, (निराकृत)

----- अभियुक्तगण

-: निर्णय :-

(आज दिनांक-25 / 07 / 2016 को घोषित)

1- अभियुक्त के विरुद्ध भा०दं०वि० की धारा 294, 323 एवं 506 भाग-2, के तहत अभियोग है कि दिनांक 27 / 03 / 15 समय 08:00 बजे रात्रि या उसके लगभग अनवर के मुर्गी फार्म के पास वार्ड नं. 6 पीर मंजिल आमला, थाना आमला, जिला बैतूल म०प्र० के अंतर्गत फरियादी अनिल अंतर्गत लोकस्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी अनिल और अन्य को क्षोभ कारित किया, फरियादी अनिल को धक्का देकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की, फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2- अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी पीर मंजिल आमला रहता है। मजदूरी का काम करता है। दिनांक 27 / 03 / 15 के रात्रि करीबन 10 बजे की बात है वह बस स्टैंड होटल से उसके लिए खाना लेकर आ रहा था कि अनवर के मुर्गी फार्म के पास आसिफ मुसलमान, बारिक उनके साथ एक लडका भी था जिसका नाम नहीं जानता सकल से पहचानता है। मिले उसे बोले कि कहां से आ रहा है मादर चोद कहकर उसे माँ बहन की गंदी-गंदी गालियाँ देने लगे, उसने गालियाँ देने से मना किया तो आसिफ ने उसे गिरा दिया और बारिक और एक अन्य लडका ने वही पर पड़ी बेसरम की लकड़ी से मारपीट किये जिससे उसे दाहिने आंख के पास दाहिने गाल पर पीठ पर चोट आकर खून निकला था तब वह किसी तरह

छूटकर भागने लगा तो उक्त तीनों लोग बोल रहे थे कि दुबारा मिला तो जान से खत्म कर देंगे, तब वह आरोपी के डर से उसके घर गया, घटना की बात किसी को भी नहीं बताया चोट देखकर उसकी माँ कमलाबाई, भाई सरवन, मधु ढीमर ने पूछा तो बताया कि उक्त लोगों ने मारपीट की है। घटना की पूरी बात बताई रिपोर्ट करने आरोपी के डर से नहीं आया था आज भाई सरवन के साथ थाना आया हूँ रिपोर्ट करता हूँ कार्यवाही की जावे।

3— प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र० पी० 2 है। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर अप० क०-176/15 कायम कर अभियुक्तगण के विरुद्ध भा० दं० वि० धारा-294, 323, 506 भाग-2, के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान दिनांक 01.04.15 को नक्शा मौका प्र० पी० 3 तैयार किया गया। आहत का मेडिकल मुलाहिजा किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

4— अभियुक्त के विरुद्ध धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त का अभियुक्त परीक्षण किया गया, अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण में बताया कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने अपने बचाव में कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

5— : न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1— “क्या दिनांक 27/03/15 समय 08:00 बजे रात्रि या उसके लगभग अनवर के मुर्गी फार्म के पास वार्ड नं. 6 पीर मंजिल आमला, थाना आमला, जिला बैतूल म० प्र० के अंतर्गत फरियादी अनिल अंतर्गत लोकस्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी अनिल और अन्य को क्षोभ कारित किया?

2— “उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी अनिल को धक्का देकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की।

3— “उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिप्रास कारित किया?”

—: निष्कर्ष एवं उसके आधार :-

विचारणीय प्रश्न क० 1,2,3 का निराकरण

6— सुविधा की दृष्टि से विचारणीय प्रश्न कं. 1,2,3 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है, क्योंकि साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो।

7— अभियोजन साक्षी अनिल (अ० सा० 01) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वह घटना के समय बस स्टैंड आमला खाना लेने गया था, वह खाना लेकर वापस आ रहा था। तभी उसे अनवर उसकी मुर्गी फार्म के सामने उसे आरोपी आसिफ एवं निराकृत आरोपी मिले। आसिफ ने उसे मादर चोद की गालियाँ दिया जो सुनने में

बुरी लगी। आसिफ ने उसे निचे गिरा दिया, तीनों आरोपीगण ने उसके साथ बेसरम की लकड़ी एवं लात घूसों से मारपीट किया, जिससे उसे दाहिने आंख, गाल एवं पीठ पर चोटें आई थी। मारपीट से वह वहीं पड़ा रहा। आसिफ ने उसे जान से खतम करने की धमकी भी दिया था। मारपीट से चोट लगने के कारण वह सुबह घर पहुँचा था सुबह जाकर उसने मम्मी पापा और अन्य लोगों को बताया। उसने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना आमला में किया था जो प्र० पी० 2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। चोट एवं डर के कारण उसने बाद में रिपोर्ट किया था। पुलिस ने उसका डॉक्टर मुलाहिजा करवाया था। पुलिस जांच करने आई और पुलिस घटना स्थल का नजरी नक्शा प्र० पी० 3 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्ष्य प्रतिपरीक्षा में खंडन किया गया है।

8— आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका क्रं. 3 में यह स्वीकार किया है कि उसका अभी आरोपी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। आगे इस गवाह ने स्वीकार किया है कि वह आरोपी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि वह आरोपी आसिफ के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि आसिफ ने उसके साथ कोई मारपीट गाली गलौच नहीं किया, उसका उससे कोई मन मुटाव नहीं है और वह आरोपी के खिलाफ अब कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। यह गवाह स्वयं फरियादी है। और इस गवाह की साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं होता है कि अभियुक्त के द्वारा फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे और अन्य को क्षोभ कारित हुआ हो और उसे धक्का देकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित हुई हो और फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

9— अभियोजन साक्षी सरवन (अ० सा० 03) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना के समय उसका भाई अनिल बस स्टैंड से खाना लेकर आ रहा था, तभी उसे मुर्गी की दुकान के सामने आरोपी आसिफ एवं निराकृत आरोपी मिलें। आसिफ ने उसके भाई अनिल को तेरी माँ बहन की चोदू और मादर चोद की गालियाँ दिया और उसके साथ उसके पटक कर बेसरम की लकड़ी और लात घूसों से मारपीट किया जिससे उसे आंख पीठ और पैर में चोट आई। दो चार घंटे उसका भाई वहीं पड़ा रहा अगले दिन सुबह-सुबह घर आया, आरोपी आसिफ ने उसे जान से मारने की धमकी दिया था जिससे उसका भाई डर गया था। उक्त साक्ष्य को बचाव पक्ष की ओर से खंडन किया गया है।

10— आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 2 में स्वीकार किया है कि घटना के समय वह उसके घर पर था। आगे इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि घटना उसने नहीं देखी घटना के समय वह घर पर सो रहा था। आगे इस गवाह ने स्वतः कहा कि उसके भाई अनिल ने उसे यह बताया था कि आरोपी आसिफ ने बेसरम की लकड़ी से मारा। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि वह अनिल के बताए अनुसार बता रहा है। जबकि उसके भाई अनिल ने आरोपी से राजीनामा कर लिया है और आरोपी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। यह गवाह घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। उक्त गवाह फरियादी के बताए अनुसार कथन कर रहा है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से यह नहीं माना जा सकता है

कि अभियुक्त ने फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित किया और उसे मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित कर जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया गया हो।

11— अभियोजन साक्षी कमलाबाई (अ0सा04) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना के समय उसका लडका अनिल बस स्टैंड से खाना लेकर आ रहा था, तभी उसे मुर्गी की दुकान के सामने आरोपी आसिफ एवं निराकृत आरोपी मिलें। आसिफ ने उसके लडके अनिल को तेरी माँ बहन की चोदू और मादर चोद की गालियाँ दिया और उसके साथ आरोपी आसिफ ने उसे पटक कर बेसरम की लकड़ी और लात ६ लूनों से मारपीट किया जिससे उसे आंख पीठ और पैर में चोट आई थी। दो चार घंटे उसका लडका वही पड़ा रहा, अगले दिन सुबह-सुबह घर आया, आरोपी आसिफ ने उसे जाने से मारने की धमकी दिया था जिससे उसका लडका डर गया था। उसने दो दिन तक घटना की बात नहीं बताई फिर उनके पूछने पर घटना की बात बताई। उक्त साक्ष्य को बचाव पक्ष की ओर से खंडन किया गया है।

12— आगे इस गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 2 ने स्वीकार किया है कि वह अनिल के बताए अनुसार ही बता रही है। आगे यह भी स्वीकार किया है कि वह घर में सो रही थी कितने बजे की घटना है उसे नहीं मालूम। आगे यह भी स्वीकार किया है कि उसने घटना होते हुये नहीं देखा। यह गवाह घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। उक्त गवाह फरियादी के बताए अनुसार बताना बता रहा है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से यह नहीं माना जा सकता है कि अभियुक्त ने फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित किया हो और उसे मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित कर जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया हो।

13— अभियोजन साक्षी एन0के0 रोहित (अ0सा01) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 31/03/15 को सी0एस0सी0 आमला में बी0एम0ओ0 के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अनिल पिता लक्ष्मण, उम्र 25 साल, जाति प्रजापति, नि0 आमला का परीक्षण किया था। जिसे थाना आमला के सैनिक नूरसिंह नं0 31 द्वारा अस्पताल लाया गया था। आहत को दांहिने गाल पर 4 गुणित 3 से0मी0 आकार का खरोंच का निशान पाया गया। अभिमत-चोट साधारण किस्म की थी जो कड़े एवं बोथरे हथियार से एक से दो दिन के अंदर पहुँचाई गई थी। उसकी रिपोर्ट प्र0पी0 1 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आहत के दांहिने गाल पर 4 गुणित 3 से0मी0 आकार का खरोंच का निशान पाया गया। चोट आने के तथ्य को बचाव पक्ष ने प्रतिपरीक्षा में प्रश्नगत नहीं किया है। बल्कि यह सुझाव दिया है कि यदि कोई व्यक्ति दौड़ता हुआ कड़े धरातल पर गिर जाये तो इस प्रकार की चोट आना संभव है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि आहत अनिल को दांहिने गाल पर खरोंच का निशान होकर उपहति कारित हुई थी।

14— किन्तु स्वयं आहत अनिल (अ0सा02) ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में स्वीकार किया है कि आसिफ ने उसके साथ कोई मारपीट गाली गलौच नहीं उससे उसका कोई मन मुटाव नहीं है और वह उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं चाहता। इस प्रकार स्वयं फरियादी अनिल के द्वारा स्वीकार किया जाना कि आरोपी आसिफ ने

कोई मारपीट नहीं की है। ऐसी परिस्थिति में डॉ० एन०के० रोहित अ०सा० 1 की साक्ष्य के अनुसार जो चोटें आहत अनिल के शरीर में बतायी गई है और जो उपहति पाई गई है। आहत अनिल के शरीर में जो चोटें पहुँचाई गई थी वह अभियुक्त आसिफ के द्वारा नहीं पहुँचाई गई, यह स्पष्ट होता है।

15— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे और दूसरों को क्षोभ कारित किया। और यह भी साक्ष्य से स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी को हाथ मुक्के से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। और यह भी स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न क्रं. 1,2,3 का निराकरण “अप्रमाणित” रूप से किया जाता है।

16— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे और दूसरों को क्षोभ कारित किया। उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी को हाथ मुक्के से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह भी प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार भाद०वि० की धारा 294, 323 एवं 506 भाग-2 का आरोप प्रमाणित न पाये जाने से उक्त अपराध में अभियुक्त आसिफ को दोषमुक्त किया जाता है।

17— अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किए गए। अभियुक्त का धारा 428 द०प्र०सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म०प्र०

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म०प्र०